

21/6
21

पत्रावली पेश हुई, वकील माफीगण उपाखिल,
विपक्षी के सम्मन बाद तामिल ठेकर पाटल हुए जिले
काफ़ी कर कक-कक कर आवाजे दिलायी जाने
के बाद भी उपाखिल नही, इनके विकल्प एक तरफा
कार्यवाही दिये जाने का अदेश दिया जाता है वकील
माफीगण का शापक स्वीकार किया जाकर निर्णय
पुपक से लिखा जाकर शापक दिया गया। पत्रावली
के दल शुमार ठेकर नम्बर से कम हो।

उपाखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 133/24 प्राणपत्र

1- श्री भगतराम S/O श्री गौरधनलाल आभाळ निवासी- बागौर त० माण्डल खर्गोरा

प्राण

बनाम

1- ग्राम पंचायत भातलारा जरीए सरपंच/सचिव जगपं. भातलारा त० माण्डल

2- लो.प्राण जरीए तहसीलदार माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 21-6-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भातलारा पटवार हल्का भातलारा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० 1097 कुल किता 01 रकबा 0-3794 हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आधे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11-6-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त, कगश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भातलारा पटवार हल्का भातलारा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1097 कुल किता 01 रकबा 0-3794 हेक्टर भूमि के दारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बागौर को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिनिधि:- तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा